

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

चिरंजीलाल उर्फ चुन्नीलाल बनाम गणपत

तारीख हुक्म

1795
2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

24/02/2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/02/2026 को पेश हो।

25/02/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/अपीलार्थी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 9 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14/08/2007 पारित करते हुये तहसीलदार शाहपुरा को विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1296 व 1297, 1300 ग्राम खोरालाडखानी का मुताबिक जमाबन्दी खातेदारान के मध्य नियमानुसार बंटवारा कर कुर्रैजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रैजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09/10/2025 पारित कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली मय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है | विधि अनुसार एवं खातेदार के काशतकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रिया है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है | अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 09/10/2025 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शूमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 25/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |